

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण:-

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/
- परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि-
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

- (ग) परियोजना की लागत। -

337.27 लाख

- (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित -
करने का औचित्य।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।

- (ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)।

संलग्न है।

- (च) रोजगार जिनके पैदा होने की -
सम्भावना है।

सड़क मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 5000 मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार -
विवरण।

आरक्षित वन भूमि	-	3.7100 है०
आरक्षित भूमि डम्पिंग हेतु	-	0.5100 है०
वन पंचायत भूमि	-	0.0000 है०
सिविल सोयम भूमि	-	0.0000 है०
नाप भूमि मोटर मार्ग हेतु	-	0.1800 है०
नाप भूमि डम्पिंग हेतु	-	0.1800 है०
कुल भूमि	-	4.5800 है०

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने
का विवरण, यदि कोई है।

लागू नहीं है।

- (क) परिवारों की संख्या -

शून्य

- (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के -
परिवारों की संख्या।

शून्य

- (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने-
के लिये)।

शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है?

संलग्न है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाय)।

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

दिनांक 03/01/2022

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान- देहरादून

नाम- V.K. Dangwal
Executive Engineer
I.D.P.M.S.Y. Dehradun.



कनिष्ठा अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0
देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0
देहरादून



अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0
देहरादून

प्रस्ताव की क्रम सं०.....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)।